

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित

रक्षा गृह

अनैतिक मानव पणन निषेध अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
मानव पणन की शिकार महिलाओं के निःशुल्क, सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वास हेतु



जो महिलाओं एवं किशोरियाँ अनैतिक मानव पणन अधिनियम, 1956 के तहत उत्पीड़ित हैं, उन्हें पुनर्वासित करने के उद्देश्य से रक्षा गृह संचालित है। इसके तहत पीड़िताओं को सुरक्षित आवासन सुविधा के साथ ही विभिन्न विधाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित

